मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या– 80 / 2015 दिनांकः दिसम्बर 16, 2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0 ने अपने पत्रांकः पॉच–3–3–2014 / 6009 / 2015 दिनांक 08–12–2015 के द्वारा अवगत कराया है कि जनपद के विभिन्न थानों में जब वादी की तहरीर या शिकायत पर असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट अंकित की जाती है तब वादी द्वारा प्रस्तुत ऐसा शिकायती पत्र अथवा मूल तहरीर को जी0डी0 में संलग्न कर दिया जाता है और असंज्ञेय अपराध की विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करते समय उस आरोप पत्र के साथ वादी / वादिनी की मूल तहरीर या शिकायती पत्र संलग्न नही होता है जिससे न्यायालय में अभियोजकों को सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। महानिदेशक अभियोजन द्वारा सुझाव दिया गया है कि असंज्ञेय अपराधों की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अवश्यम्भावी रूप से वादी / वादिनी की मूल शिकायत / तहरीर को आरोप पत्र के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक अभियोजन द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

16/12/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।